मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19 /05/2022

क्रमांक 886 /3885/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1261/2686/ 2021/38/1, दिनांक 06.08.2021 द्वारा (स.क्र.23 पर अंकित) डॉ. कुंजनसिंह सोनगरा, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर शासकीय महाविद्यालय, जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा किया गया है।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. सोनगरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 16490/2021 दायर की गई। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.09.2021 में याचिका को dispose of किया है। माननीय न्यायालय के आदेश का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

In the available facts of the case, I deem it fit and proper to direct respondent No.1 to consider and decide the representations dated 09.08.2021 and 10.08.2021 collectively filed as Annexure P/2 preferred by the petitioner by passing a reasoned and speaking order within a period of two weeks from today. Till the decision on the representations of the petitioner the impugned order dated 06.08.2021 (Annexure P/1) in so far as it relates to the petitioner shall remain stayed and he shall be permitted to continue at his present place of posting. With the aforesaid direction, the present petition stands disposed of.

3/ डॉ. सोनगरा द्वारा उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रशासकीय विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित अभ्यावेदन में स्थानांतरण आदेश निरस्त कर यथावत पदस्थ करने का अनुरोध किया गया है। डॉ. सोनगरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आधार	विभागीय अभिमत
i.	स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 14 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता है, चूंकि धार महाविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग में मेरे स्थानांतरण होने के पश्चात भी 02 पद रिक्त रहेंगे। साथ ही महाविद्यालय में मेरी पदस्थापना की वरिष्ठता क्रम के पहले 04 सहायक प्राध्यापक पूर्व से पदस्थ है, उनका स्थानांतरण मेरे से पहले होना था।	शास.पीजी महा. धार में रसायनशास्त्र विषय में 09 पद स्वीकृत है। डॉ. सोनगरा को मिलाकर वर्तमान में नियमित रूप से 08 सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक कार्यरत है तथा 01 रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि विद्वान कार्यरत है। डॉ. सोनगरा के कार्यमुक्त होने पर पर रिक्त पद की पूर्ति अतिथि विद्वान द्वारा की जावेगी।

ii.	मेरी माताजी श्रीमती सोजानबाई विगत 15 वर्षो से लकवे से ग्रसित है, जिनका ईलाजसमय-समय पर स्थानीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता रहा है। माताजी मेरे पास ही निवासरत है। अतः उनके स्वास्थ्य एवं देखभाल का कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। माताजी वर्तमान में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। इस उम्र एवं बीमारी की स्थिति में उन्हें कहीं अन्यत्र ले जाना उचित नहीं है।	जिला छिंदवाड़ा में शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अन्य स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध है।
iii.	मेरे दो पुत्र चि. विवेक कक्षा 8वीं एवं चि. प्रशांत, कक्षा बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है।	स्थानांतरित नगर जुन्नारदेव में निजी एवं शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय संचालित है।

4/ डॉ. कुंजनसिंह सोनगरा, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार में विगत 10 वर्षों से पदस्थ हैं। डॉ. सोनगरा का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. सोनगरा द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारी हैं। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. सोनगरा द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. कुंजनसिंह सोनगरा, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 19 /05/2022

पृष्ठा.887 /3885/2021/38/1
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,

4. प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार,
5. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा,
6. संबंधित डॉ. कुंजनसिंह सोनगरा, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार
7. गार्ड फाईल,

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग